

**Form No. III**

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत- राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर  
सचिच नगर विकास न्याय जरिये गौरव बुढानिया बनाम बाबूलाल वगै०

अपील संख्या

अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट

GCMS NO 2025/301

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 126/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.9.25	<p>अपील श्री अब्दुल हासिब अधिवक्ता द्वारा पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपीलांत अधिवक्ता को अपील के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 8/24 बाबूलाल वगै० बनाम नगर विकास न्याय सवाई माधोपुर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 7.8.24 के विरुद्ध पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश एक पक्षीय आदेश है। जो अपीलांत को बिना सुने ही एक पक्षीय मे पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से होती है। जो विधि के प्रावधानो के विपरीत है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय अंतरिम आदेश को निरस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है प्रतः अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 8/24 मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 7.8.24 को अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन उनवानी प्रकरण मे नियत दिनांक को उपस्थित होकर विधि अनुसार कार्यवाही करे एवं अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओ प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संत् 1 ए. अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओ को विवेचन करते हुए हस्तगत प्रकरण का अन्दर एक माह मे अंतिम निस्तारण करे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।</p> <p> राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर</p>	

